



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12082025-265369
CG-DL-E-12082025-265369

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 212]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 11, 2025/श्रावण 20, 1947

No. 212]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 11, 2025/SHRAVANA 20, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2025

मामला सं.-एडी (एए) – 02/2023

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका' के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की आमेलन-रोधी समीक्षा जांच।

फा.सं. 7/25/2023-डीजीटीआर—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' भी कहा गया है) और उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए।

क. मामले की पृष्ठभूमि

- पाटनरोधी नियमावली के नियम 30 के प्रावधानों के अनुसार, मेसर्स कैबोट सनमार लिमिटेड, (जिसे आगे "आवेदक" कहा गया) ने चीन जन.गण. (जिसे आगे यहां "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित और शेडोंग डोग्यू सिलिकॉन मेटेरियल कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे "संबद्ध निर्यातिक" या "उत्तरदाता" कहा गया है) द्वारा उत्पादित 'अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका' (जिसे आगे "संबद्ध सामान" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" कहा गया है) के

आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के आमेलन का आरोप लगाते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे 'प्राधिकारी' भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन-पत्र दायर किया।

2. चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य से अनट्रीटेड फ्यूस्ट सिलिका के आयात से संबंधित पाटनरोधी जाँच 22 सितंबर 2020 की अधिसूचना द्वारा शुरू की गई थी। अंतिम जांच परिणाम फा. संख्या 6/40/2020-डीजीटीआर दिनांक 20 सितंबर 2021 द्वारा, प्राधिकारी ने अनट्रीटेड फ्यूस्ट सिलिका के आयात पर 5 वर्षों की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की। ये शुल्क वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या 66/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 11 नवंबर 2021 द्वारा लगाए गए थे। नीचे दी गई तालिका वर्तमान में लागू शुल्क का सारांश प्रस्तुत बताती है।

क्र.सं.	देश	उत्पादक	राशि
1	चीन जन.गण.	शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड	1,018 डॉ./एमटी
2	चीन जन.गण.	वैकर केमिकल्स फ्यूस्ट सिलिका (झांगजियागांग) कंपनी लिमिटेड	शून्य
3	चीन जन.गण.	कोई अन्य	1,296 डॉ./एमटी
4	कोरिया गणराज्य	ओसीआई कंपनी लिमिटेड	शून्य
5	कोरिया गणराज्य	कोई अन्य	373 डॉ./एमटी

3. अधिनियम की धारा 9क(1ख) और नियमावली के नियम 29(2) के अनुसार, जहाँ पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन कोई वस्तु भारत में ऐसी कीमत पर या ऐसी स्थिति में आयात की जाती है जिसे विद्यमान पाटनरोधी शुल्क का आमेलन माना जाता है, जो इस प्रकार अप्रभावी हो जाता है या हो सकता है, वहाँ निर्दिष्ट प्राधिकारी समीक्षा करने के पश्चात्, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का पुनर्मूल्यांकन करने के पश्चात् शुल्क के स्वरूप या आधार और/अथवा पाटनरोधी शुल्क की मात्रा में संशोधन की सिफारिश कर सकते हैं। इसके अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग या किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से किए गए पर्यास साक्ष्य सहित आवेदन-पत्र के आधार पर इस बात की समीक्षा करनी होगी कि क्या शुल्क के आमेलन के कारण विद्यमान पाटनरोधी शुल्क अप्रभावी हो गया है अथवा हो सकता है।
4. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर और शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड द्वारा चीन जन.गण. से निर्यात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के आमेलन के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करते हुए, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. से संबंधित निर्यातक द्वारा विचाराधीन उत्पाद के निर्यात पर पाटनरोधी शुल्क के आमेलन के अस्तित्व और प्रभाव का निर्धारण करने और अधिनियम की धारा 9क(1ख) और नियमावली के नियम 30 के अनुसार, अधिसूचना संख्या 7/25/2023-डीजीटीआर दिनांक 31 दिसंबर, 2024 के अनुसार पाटनरोधी शुल्क की मात्रा या स्वरूप में संशोधन की सिफारिश करने के लिए एक आमेलनरोधी जांच शुरू की है। जांच केवल शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन सामग्री कंपनी लिमिटेड द्वारा चीन जन.गण. से निर्यात पर शुरू की गई थी।

ख. प्रक्रिया

5. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है।

- क. प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/25/2023-डीजीटीआर, दिनांक 31 दिसंबर 2024 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में एक सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित किया, जिसमें संबद्ध निर्यातक, शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड द्वारा संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयात के विरुद्ध आमेलन-रोधी जांच शुरू की गई।

- ख. नियम 30(4) के अनुसार, आमेलन-रोधी जांच शुरू करने से पहले भारत में चीन के दूतावास को सूचित किया गया था।
- ग. आमेलन अवधि 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 (12 महीने) मानी गई है। प्राधिकारी ने इस अवधि में कीमतों की तुलना मूल जांच की जांच अवधि में कीमतों से की है।
- घ. नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक नोटिस की एक प्रति भारत में चीन के दूतावास, संबंधित उत्पादक/निर्यातक, ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भेजी गई।
- ड. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार संबद्ध उत्पादक/निर्यातक तथा चीन सरकार को उसके दूतावास के माध्यम से और उन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, जिन्होंने लिखित में अनुरोध किया, आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई।
- च. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश में संबद्ध उत्पादक/निर्यातक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को आमेलन-रोधी जांच शुरू करते हुए सार्वजनिक सूचना की प्रति भेजी और उन्हें जांच की शुरुआत की अधिसूचना में निर्धारित किए गए अनुसार समय-सीमा के भीतर निर्धारित स्वरूप और तरीके में प्रश्नावली का उत्तर दायर करने और अपने ज्ञात विचार लिखित में दायर करने का अवसर प्रदान किया।
- छ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाते हुए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को अधिसूचना की एक प्रति भेजी:
- आदिनाथ ऑक्सी केम इंडस्ट्री पता
 - जय केम मार्केटिंग
 - आदिश्वर एक्सीपिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड
 - एमकॉर्प एडवांस मैटेरियल्स एलएलपी
 - केंडा फारबेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 - रेडा केमिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 - पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - फास्टो एडवांस मैटेरियल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 - एचपी एडहेसिव्स लिमिटेड
 - आदिनाथ ऑक्सी केम इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड
 - के.पी. मनीष ग्लोबल इंग्रीडिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड
 - 3एम इंडिया लिमिटेड
 - दीवान चंद साहनी एंड संस
 - अंकुश एंटरप्राइज
 - केशव हिंचेम प्राइवेट लिमिटेड
 - निकियन कॉर्पोरेशन
 - प्रकाश इंटरनेशनल
 - फीनिक्स न्यूट्रास्युटिकल्स
- ज. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार परिचालन और आवश्यक मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों की निम्नलिखित ज्ञात एसोसिएशनों को आयातक प्रश्नावली भेजी:
- फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्टी)
 - एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया

- iii. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)
- झ. शेडोंग डॉग्युए सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे उत्तरदाता कहा गया है) ने प्राधिकारी द्वारा जारी प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत कर दिया है।
- ज. आमेलन अवधि के लिए लेन-देन-वार आयात आँकड़े डीजी सिस्टम्स से प्राप्त किए गए थे। प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध सामानों के आयातों की मात्रा और मूल्य की गणना करने तथा निर्यातिक द्वारा दायर उत्तरों के साथ तुलना और समाधान के लिए डीजी सिस्टम्स के आँकड़ों पर भरोसा किया है।
- ट. आवेदक और उत्तरदाता निर्यातिक से आवश्यक समझी गई सीमा तक सूचना मांगी गई।
- ठ. सभी हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे अपने अनुरोध/प्रतिक्रिया/टिप्पणियों के अगोपनीय रूपांतर (एनसीवी) अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ई-मेल करें।
- ड. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 4 अप्रैल 2024 को हाइब्रिड मोड में आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध प्रस्तुत करें, जिसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध दायर हों।
- ঢ. নির্দিষ্ট প্রাধিকারী কে পরিবর্তন কে কারণ, 23 মার্চ 2025 কো এক নবী মৌখিক সুনবাঈ আয়োজিত কী গৈ জিসমে সভী হিতবদ্ধ পক্ষকারোঁ কো অপনে বিচার প্রস্তুত করনে কা অবসর প্রদান কিয়া গয়া। মৌখিক সুনবাঈ মেং অপনে বিচার প্রস্তুত করনে বালে পক্ষকারোঁ সে অনুরোধ কিয়া গয়া কি বে মৌখিক রূপ সে ব্যক্ত কিএ গএ বিচারোঁ কে লিখিত অনুরোধ প্রস্তুত করেঁ, ওৱে উসকে বাদ যদি কোই হৈ তো প্রত্যুত্তর অনুরোধ দায়র করেঁ।
- ণ. জাংচ প্রক্রিয়া কে দৌরান হিতবদ্ধ পক্ষকারোঁ দ্বারা কিএ গএ অনুরোধ, উঠাএ গএ তর্ক ঔৱ বিভিন্ন হিতবদ্ধ পক্ষকারোঁ দ্বারা উপলব্ধ করাই গৈ সূচনা, জহাঁ তক বে সাক্ষ্যোঁ দ্বারা সমর্থিত হৈ ঔৱ বৰ্তমান জাংচ কে লিএ প্রাসংগিক মানী গৈ হৈ, পর প্রাধিকারী দ্বারা ইস অন্তিম জাংচ পরিণাম মেং উচিত রূপ সে বিচার কিয়া গয়া হৈ।
- ত. জাংচ প্রক্রিয়া কে দৌরান প্রাধিকারী নে হিতবদ্ধ পক্ষকারোঁ দ্বারা দী গৈ সূচনা কী পরিশুদ্ধতা কে বারে মেং স্বয়ং কো সংতুষ্ট কিয়া, জো যথাসংভব সীমা তক ইস অন্তিম জাংচ পরিণাম কা আধার হৈ তথা উন্হোঁনে ঘৰেলু উচ্চোগ দ্বারা প্রস্তুত আঁকড়োঁ/দস্তাবেজোঁ কো প্রাসংগিক ঔৱ আবশ্যক সমझে জানে কী সীমা তক সত্যাপিত কিয়া।
- থ. গোপনীয় আধার পর হিতবদ্ধ পক্ষকারোঁ দ্বারা দী গৈ সূচনা কী জাংচ গোপনীয়তা কে দাবে কী পর্যাপ্ততা কে সংবংধ মেং কী গৈ থী। সংতুষ্ট হোনে পর, প্রাধিকারী নে জহাঁ ভী আবশ্যক সমজা, গোপনীয়তা কে দাবোঁ কো স্বীকার কিয়া হৈ ঔৱ উস সূচনা কী গোপনীয় মানা গয়া হৈ তথা অন্য হিতবদ্ধ পক্ষকারোঁ কো প্রকট নহীঁ কী গৈ হৈ। জহাঁ ভী সংভব হুআ, গোপনীয় আধার পর সূচনা দেনে বালে পক্ষকারোঁ কো গোপনীয় আধার পর দায়র কী গৈ সূচনা কে পর্যাপ্ত অগোপনীয় রূপাংতর দেনে কা নির্দেশ দিয়া গয়া থা।
- ঢ. জাংচ প্রক্রিয়া কে দৌরান আবশ্যক সূচনা তক পহুঁচ সে ইংকার কিয়া হৈ অথবা অন্যথা আবশ্যক সূচনা নহীঁ দী হৈ অথবা জাংচ মেং কাফি বাধা ডালী হৈ, বহাঁ প্রাধিকারী নে প্রাধিকারী নে এসে হিতবদ্ধ পক্ষকারোঁ কো অসহযোগী মানা হৈ তথা উপলব্ধ তথ্যোঁ কে আধার পর যহ অন্তিম জাংচ রিকোর্ড কিয়া হৈ।
- ঢ. প্রাধিকারী নে কেন্দ্ৰ সৱকার কো অন্তিম সিফারিশ করনে কে লিএ বিচারাধীন সভী অনিবার্য তথ্যোঁ সে যুক্ত এক প্ৰকটন বিবৰণ 9 জুলাঈ 2025 কো সভী হিতবদ্ধ পক্ষকারোঁ কো পৰিচালিত কিয়া। প্রাধিকারী নে ইন অন্তিম জাংচ পরিণামোঁ মেং হিতবদ্ধ পক্ষকারোঁ দ্বারা প্ৰকটন কে বাদ কী গৈ সভী টিপ্পণিয়োঁ কী, জহাঁ তক প্রাসংগিক সমজা গয়া, জাঁচ কী হৈ। কোই ভী অনুরোধ জো কেবল পিছলে অনুরোধ কী পুনৰাবৃত্তি থী, ঔৱ জিসকি প্রাধিকারী দ্বারা পৰ্যাপ্ত রূপ সে জাঁচ কী গৈ থী, সংক্ষিপ্তা কে লিএ দোহৰায়া নহীঁ গয়া হৈ।
- ন. ইস অন্তিম জাংচ মেং ‘***’ কিসি হিতবদ্ধ পক্ষকার দ্বারা গোপনীয় আধার পর দী গৈ সূচনা তথা নিয়মাবলী কে তহত প্রাধিকারী দ্বারা মানী গৈ সূচনা দৰ্শাতা হৈ।
- ঢ. সংবদ্ধ জাংচ কে লিএ প্রাধিকারী দ্বারা অপনাই গৈ বিনিময দৰ 1 যুএসড়োঁ= 84.00 রূপাএ হৈ। মূল জাংচ মেং মানী গৈ বিনিময দৰ যুএসড়োঁ= 71.65 রূপাএ থী।
- ঢ. বিভিন্ন মুদোঁ পর সংবদ্ধ নির্যাতিক দ্বারা কিএ গए অনুরোধ
৬. জাংচ প্রক্রিয়া কে দৌরান শেডোঁগ ড়োগ্যু সিলিক৉ন মটেরিয়ল কংপনী লিমিটেড দ্বারা নিম্নলিখিত অনুরোধ কিএ হৈ।

- क. उत्तरदाता द्वारा निर्यातित उत्पाद एक औद्योगिक ग्रेड अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका है, जिसका प्राथमिक रूप से उपयोग सिलिकॉन सीलिंग के उत्पादन में किया जाता है, जिसका वाणिज्यिक मूल्य वैकर द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले फ्यूम्ड सिलिका के फार्मास्युटिकल या खाद्य-ग्रेड प्रकारों की तुलना में कम है।
- ख. ग्रेड और तकनीकी मापदंडों में अंतर को ध्यान में रखे बिना कीमत तुलना नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ये उत्पाद की बाजार स्थिति और मूल्य को प्रभावित करते हैं।
- ग. घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन-पत्र नियमावली के नियम 29(3) के अंतर्गत निर्धारित दो वर्ष की समय सीमा से परे था, जो यह अधिदेशित करता है कि ऐसी जाँच सामान्यतः निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की तिथि से दो वर्ष के भीतर शुरू की जानी चाहिए।
- घ. प्राधिकारी द्वारा ऐसी विलंबित शुरूआत को उचित ठहराने के लिए कोई विशेष परिस्थितियाँ लिखित रूप में दर्ज नहीं की गईं।
- ड. आवेदक द्वारा प्रदान की गई सूचना पाटनरोधी शुल्क के आमेलन का कोई प्रथम दृष्टया साक्ष्य सिद्ध नहीं करती है।
- च. भारत को निर्यात कीमतों में गिरावट वैश्विक बाजार के रुझान और अति-आपूर्ति की स्थिति के कारण हुई, न कि लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को बेअसर करने के किसी इरादे से।
- छ. कुछ उप-उत्पाद अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका के उत्पादन में इनपुट सामग्री के रूप में उसकी अन्य रासायनिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न हुए हैं। इन आंतरिक अंतरणों का कीमत निर्धारण आंतरिक लेखांकन सिद्धांतों के आधार पर किया गया था, जिससे एक स्थिर लागत संरचना बनी। इस आंतरिक लागत व्यवस्था ने प्रतिस्पर्धी बाजार परिवेश में भी इसके कीमत निर्धारण को टिकाऊ बनाया।
- ज. आमेलन अवधि (जुलाई 2023 - जून 2024) के दौरान निर्यात कीमतों में गिरावट पाटनरोधी शुल्क के किसी आमेलन के कारण नहीं, बल्कि वैश्विक मूल्य समायोजन के परिणामस्वरूप हुई, न कि शुल्क के प्रभाव को संतुलित करने के किसी प्रयास के कारण।
- झ. कीमत प्रवृत्ति वैश्विक बाजारों में अति-आपूर्ति, प्रतिस्पर्धियों से कीमत निर्धारण दबाव और कोविड-19 रिकवरी के बाद मांग में समग्र नरमी का परिणाम है।
- अ. कीमत परिवर्तन विनिमय दर में उत्तर-चड़ाव से प्रभावित थे, और इस अवधि के दौरान भारतीय रूपये के अवमूल्यन ने रूपये में कीमत परिवर्तन के एक हिस्से की व्याख्या की है।
- ट. शेडोंग डोंग्यू की उत्पादन लागत में कमी आई है, जो दर्शाता है कि कीमतें पाटनरोधी शुल्कों से प्रभावित नहीं हैं, बल्कि समग्र बाजार स्थितियों से प्रभावित हैं।
- घ. **विभिन्न मुद्दों पर आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध**
7. जाँच प्रक्रिया के दौरान आवेदक द्वारा निम्निखित अनुरोध किए गए हैं:
- क. वर्तमान आमेलन-रोधी जाँच में विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र मूल जाँच में परिभाषित क्षेत्र के किए गए अनुसार ही है, जिसमें अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका के सभी ग्रेड शामिल हैं।
- ख. निश्चयात्मक शुल्क लगाए जाने की तिथि से दो वर्षों के भीतर आमेलन-रोधी जाँच शुरू करने के लिए आवेदन-पत्र दायर किया गया था। मूल आवेदन-पत्र सितंबर 2023 में, सांविधिक समय-सीमा के भीतर दायर किया गया था।
- ग. आवेदक ने बाद में जून 2024 तक के सबसे हाल की कीमत प्रवृत्तियों को दर्शने के लिए आमेलन की अवधि को अद्यतन किया, और आंकड़ों का ऐसा पूरक आवेदन अथवा जाँच की शुरूआत को अमान्य नहीं करता है।
- घ. नियमावली के नियम 29(3) घरेलू उद्योग या किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा आवेदन-पत्र दायर करने की अनुमति देता है। ऐसी कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है कि आवेदन-पत्र केवल घरेलू उद्योग द्वारा ही दायर किया जा सकता है। आवेदन-पत्र उस घरेलू उत्पादक द्वारा दायर किया जा सकता है जिसने विचाराधीन उत्पाद का पर्याप्त मात्रा में आयात किया है, घरेलू उत्पादक जिसका हिस्सा नियम 5(3) के अंतर्गत निर्धारित सीमा से कम है, किसी संघ और/अथवा किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा भी दायर किया जा सकता है।

- ड. नियम 29(3) प्राधिकारी को विशेष परिस्थितियों में दो वर्ष से अधिक अवधि के लिए आवेदन-पत्र स्वीकार करने की अनुमति देता है, बशर्ते कारण लिखित रूप में दर्ज किए जाएं। तथापि, वर्तमान मामले में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि मूल आवेदन-पत्र निर्धारित अवधि के भीतर ही था।
- च. आवेदन-पत्र में प्रस्तुत साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शते हैं कि शुल्क लगाने के बाद निर्यातक की भारत को सीआईएफ कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जबकि कच्चे माल और उपयोगिता लागत में वृद्धि हुई है। इससे पता चलता है कि निर्यातक ने पाटनरोधी शुल्क को आमेलित कर लिया है, जिससे इसका उपचारात्मक प्रभाव कम हो गया है।
- छ. उत्पादन में उप-उत्पादों के उपयोग के संबंध में निर्यातक का कथन किसी तीसरे पक्ष के दस्तावेजीकरण या लेखांकन मानकों द्वारा समर्थित नहीं था। ऐसे आंतरिक अंतरणों के मूल्यांकन या बाजार प्रासंगिकता को प्रमाणित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया था।
- ज. निर्यातक ने निर्यात कीमतों में कथित गिरावट को व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा बताते हुए, किसी भी लेन-देन-वार तीसरे देश के निर्यात आँकड़े या लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। इसलिए, बाजार-संचालित मूल्य कटौती का स्पष्टीकरण असत्यापित रहा।
- झ. आमेलन अवधि के दौरान मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन (एमजी सिलिकॉन) और उपयोगिताओं (बिजली, गैस) जैसे इनपुट की वैश्विक लागत में वृद्धि हुई है, जबकि निर्यातक की भारत को कीमतें कम हुई हैं, जो दर्शता है कि पाटनरोधी शुल्क को निष्प्रभावी कर दिया गया है।
- ज. प्रतिभागी उत्पादक ने स्वीकार किया है कि भारतीय बाजार के लिए कीमत में गिरावट घरेलू बिक्री या अन्य देशों के लिए कीमत में गिरावट से अधिक रही है। जबकि घरेलू बाजार में कीमत और तीसरे देशों को निर्यात कीमत में केवल 32% की गिरावट आई है, भारत को निर्यात कीमत में 44% की गिरावट आई है।
- ट. उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है। अतः, बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के अभाव में, प्राधिकारी को उत्पादक की उत्पादन लागत में परिवर्तन पर विचार नहीं करना चाहिए।
- ठ. यद्यपि उत्पादन लागत में रूपये के संदर्भ में वृद्धि हुई है, तथापि आयात कीमत में गिरावट आई है।
- ड. यद्यपि उत्पादन लागत में डॉलर के संदर्भ में गिरावट आई है, तथापि आयात कीमत में बहुत अधिक दर से गिरावट आई है।
- ढ. यद्यपि सीएनवाई के संदर्भ में उत्पादन लागत में गिरावट आई है, आयात कीमत में बहुत तेज दर से गिरावट आई है।
- ण. वस्तु की उत्पादन लागत में किसी भी तद्रूपी परिवर्तन के बिना आयात कीमत में गिरावट आई है और इसीलिए, आमेलन हुआ है।
- त. आवेदक ने सामग्री का बीजक अमेरिकी डॉलर में बनाया है। वह यह तर्क नहीं दे सकता कि वह विनिमय दर में वृद्धि को दर्शाने के लिए अपनी कीमतों को समायोजित कर रहा था। भारतीय उद्योग की उत्पादन लागत विनिमय दर में वृद्धि के साथ बढ़ती है और इसलिए यदि निर्यातक विनिमय दर को दर्शाने के लिए अपनी कीमतों को समायोजित करता है, तो इसका अर्थ है कि इससे भारतीय उद्योग को क्षति पहुँच रही है।
- ड. प्राधिकारी द्वारा जांच**
8. चूँकि वर्तमान जाँच लागू पाटनरोधी शुल्क की आमेलन-रोधी समीक्षा है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही रहेगा जो मूल जाँच में परिभाषित किया गया था। अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका एक सिंथेटिक अमोरफस सिलिका है जो क्लोरोसिलेन के ज्वाला हाइड्रोलिसिस द्वारा उत्पादित होता है। इस उत्पाद की विशेषता उच्च सतह क्षेत्र, कम स्थूल घनत्व है, और इसका उपयोग आमतौर पर गाढ़ा करने वाले एजेंट, एंटी-केर्किंग एजेंट, द्रवों के वाहक और रियोलाँजी संशोधक के रूप में किया जाता है।

9. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका विभिन्न ग्रेडों में भिन्न-भिन्न सतह क्षेत्रों के साथ आयात किया जाता है, तथापि, इन ग्रेडों की मूल भौतिक और रासायनिक विशेषताएँ समान रहती हैं। यह उत्पाद पाउडर के रूप में विपणन किया जाता है और सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के उपशीर्षों 28112200, 28112190, 2839100, और 34049090 के अंतर्गत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और उत्पाद क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए बाध्यकारी नहीं है।
10. उत्तरदाता निर्यातक ने दावा किया है कि उसके द्वारा निर्यात किया गया उत्पाद एक औद्योगिक ग्रेड अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से सिलिकॉन सीलिंग के उत्पादन में किया जाता है, जिसका वाणिज्यिक मूल्य वैकर द्वारा आपूर्ति किए गए फ्यूम्ड सिलिका के फार्मास्युटिकल या खाद्य-ग्रेड प्रकारों की तुलना में कम है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जाँच एक आमेलन-रोधी जाँच है, और इसका उद्देश्य यह जाँच करना है कि क्या निर्यात कीमत कञ्च माल की लागत के अनुरूप बढ़ी है। उत्तरदाता ने यह दावा नहीं किया है कि मूल जाँच और वर्तमान जाँच में निर्यात किए गए उत्पाद प्रोफ़ाइल में अंतर है। अतः, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद या समान वस्तु के क्षेत्र के मुद्दे की जाँच करना आवश्यक नहीं समझते हैं।
11. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है। अतः, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद या समान वस्तु के क्षेत्र के मुद्दे की जाँच करना आवश्यक नहीं समझते।

ड.1 विविध मुद्दे

12. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह टिप्पणी की है कि जाँच नियम 29(3) के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा के बाद शुरू की गई थी। नियम 29(3) के प्रासंगिक अंश नीचे प्रस्तुत हैं।

(3) घरेलू उद्योग या कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार, सामान्यतः निश्चित पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की तिथि से दो वर्ष के भीतर आमेलन-रोधी जाँच शुरू करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा।

बशर्ते कि किसी मामले में विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद ऐसी जाँच शुरू करने के लिए आवेदन-पत्र स्वीकार कर सकते हैं।
13. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमों के तहत आवेदक के लिए समय सीमा के भीतर आवेदन दायर करना आवश्यक है। यह आवश्यकता प्राधिकारी द्वारा जाँच शुरू करने के लिए नहीं है। वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या 66/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 11 नवंबर 2021 के माध्यम से पाटनरोधी शुल्क लगाए गए थे। दो वर्ष की अवधि 10 नवंबर 2023 को समाप्त हो गई है। आवेदक ने जनवरी 2023 से जून 2023 तक आमेलन की अवधि के साथ सितंबर 2023 को आवेदन-पत्र दायर किया था। आवेदक ने बाद में आवेदन-पत्र को जुलाई 2023 से जून 2024 तक जाँच की अवधि के साथ अद्यतन किया था। अतः, यह तथ्य कि दो वर्ष समाप्ति के बाद जाँच शुरू की गई थी, कानून में शुरुआत गलत नहीं बनाता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि नियम 29(3) विशेष परिस्थितियों में दो वर्ष की अवधि से परे आवेदन-पत्र स्वीकार करने में लचीलापन देता है। प्राधिकारी को आवेदन-पत्र स्वीकार करने का अधिकार था, भले ही वह निर्धारित समय सीमा से परे हो।

ड.2 पाटनरोधी शुल्क का आमेलन

14. उत्तरदाता ने दावा किया है कि भारत को निर्यात कीमत में गिरावट शुल्कों के आमेलन के कारण नहीं, बल्कि विक्री लागत में कमी के कारण हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल जाँच में, चीनी उत्पादकों को गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियों में कार्यरत माना गया था। इसी तरह, उत्पादक ने वर्तमान जाँच में बाज़ार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है। अतः, यदि विक्री लागत में कमी के कारण निर्यात कीमत में कमी आई है, तो उत्पादक की दावा की गई विक्री लागत को जाँच के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह देखा गया है कि निर्यातक के आँकड़ों पर विचार करने पर भी, निर्यात कीमत में गिरावट विक्री लागत में कमी से अधिक है।
15. उत्तरदाता की विक्री लागत, घरेलू बाज़ार में विक्री कीमत, भारतीय बाज़ार में विक्री कीमत और अन्य देशों को विक्री कीमत में परिवर्तन दर्शने वाली एक तालिका नीचे दी गई है। उत्पादक ने विक्री लागत, घरेलू विक्री कीमत, भारत

और अन्य देशों को निर्यात कीमत के संबंध में वास्तविक सूचना नहीं दी है। लिखित अनुरोध में, केवल अगोपनीय प्रवृत्ति दी गई है, जो नीचे दर्शाई गई है।

क्र.सं.	विवरण	यूआएम	मूल जाँच की अवधि	वर्तमान जाँच की अवधि	परिवर्तन
1	बिक्री लागत	डॉ./एमटी	110	85	22.7%
2	घरेलू बिक्री कीमत	डॉ./एमटी	100	76	24.0%
3	भारत को निर्यात कीमत	डॉ./एमटी	105	73	30.5%
4	अन्य देशों को निर्यात कीमत	डॉ./एमटी	108	82	24.1%

16. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार, उत्तरदाता की बिक्री लागत में 22.7% की गिरावट आई है और घरेलू बिक्री कीमत में भी 24% की गिरावट आई है। तथापि, भारत को निर्यात कीमत में 30.5% की गिरावट आई है। निर्यात कीमत में यह गिरावट बिक्री लागत या घरेलू बिक्री कीमत में हुई गिरावट से अधिक है। भारत को निर्यात कीमत में हुई गिरावट अन्य देशों को निर्यात कीमत में हुई गिरावट से भी अधिक है।
17. उत्तरदाता ने दावा किया है कि भारत को निर्यात कीमत में गिरावट उसी स्थिति में है जैसी कि अन्य देशों को निर्यात कीमत में गिरावट है। उत्तरदाता ने तीसरे देशों को निर्यात कीमत में गिरावट के दावों को पुष्ट करने के लिए लेन-देन-वार निर्यात कीमत की सूचना प्रदान नहीं की है। इसके अतिरिक्त, निर्यातिक ने विभिन्न बाजारों के लिए केवल बिक्री लागत और बिक्री कीमत की प्रवृत्तियां ही प्रदान की हैं। फिर भी, भारित औसत के आधार पर और दी गई प्रवृत्तियों के अनुसार, यह देखा जाता है कि जबकि भारत को निर्यात कीमत में 30.5% की गिरावट आई, वहीं अन्य देशों को निर्यात कीमत में केवल 24.1% की गिरावट आई।
18. उत्तरदाता ने यह भी अनुरोध किया है कि एमजी सिलिकॉन मेटल का उपयोग एक अन्य उत्पाद, ऑर्गेनोसिलिकॉन उत्पादों के उत्पादन में प्राथमिक कच्चे माल के रूप में किया जाता है, जिसका उपयोग विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में किया जाता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह तथ्य मूल जाँच में भी लागू था। आमेलन-रोधी जाँच में, प्राधिकारी को केवल यह जाँच करने की अपेक्षा होती है कि क्या बिक्री लागत में कमी के अनुरूप निर्यात कीमत में गिरावट आई है। वर्तमान जाँच में, यह देखा गया है कि उत्तरदाता के निर्यात कीमत की तुलना में बिक्री लागत कम दर से कम हुई है।
19. यह जाँच करने के लिए कि क्या उत्पादक के लिए निर्यात कीमत में गिरावट आई है, प्राधिकारी ने उत्तरदाता के लिए मूल जाँच में निर्धारित निवल निर्यात कीमत की तुलना उत्तरदाता द्वारा दी गई आमेलन अवधि में निवल निर्यात कीमत से की है।

क्र.सं.	विवरण	यूआएम	मूल जाँच की अवधि	वर्तमान जाँच की अवधि	परिवर्तन
1	भारत को निर्यात कीमत	डॉ./एमटी	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	70	
2	विनिमय दर	सीएनवाई/डॉ.	6.97	7.20	
3	भारत को निर्यात कीमत	सीएनवाई/एमटी	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	73	

स्रोत-घरेलू उद्योग द्वारा लिखित अनुरोध में प्रदान किया गया <https://www.exchangerates.org.uk/>

20. यह देखा जाता है कि उत्पादक की निर्यात कीमत में अमेरिकी डॉलर और चीनी युआन दोनों में गिरावट आई है।
21. आवेदक ने अनुरोध किया था कि कच्चे सामग्री की लागत और उपयोगिता लागत में वृद्धि हुई है जबकि आयात कीमत में गिरावट आई है। प्राधिकारी ने आँकड़ों की जाँच की है। नीचे दी गई तालिका मूल अवधि और आमेलन अवधि के बीच एनआईपी गणना के लिए अनुमत कच्चे माल और उपयोगिता लागत में परिवर्तन दर्शाती है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	मूल अवधि	आमेलन अवधि	परिवर्तन
1	कच्चे माल की लागत	रु./एमटी	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	
2	उपयोगिता लागत	रु./एमटी	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	141	
3	उपरोक्त का योग	रु./एमटी	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	
4	विनिमय दर	रु./डॉ.	71.65	84.00	
5	उपरोक्त का योग	डॉ./एमटी	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	

22. यह देखा जाता है कि सामग्री और यूटिलिटी के कारण लागत आमेलन अवधि में भारतीय रूपये और अमेरिकी डॉलर दोनों में बढ़ी है।
23. इस अनुरोध के संबंध में कि आयात कीमत में गिरावट मुद्रा के अवमूल्यन के कारण हुई, प्राधिकारी ने समान मुद्रा में मापदंडों की तुलना की है और पाया है कि पाटनरोधी शुल्क का आमेलन हुआ है। चूँकि निर्यात कीमत अमेरिकी डॉलर में उद्धृत किया गया है, इसलिए यह निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक है कि क्या निर्यात कीमत में गिरावट आई है। निर्यातक यह तर्क नहीं दे सकता कि निर्यात कीमत में गिरावट आई है क्योंकि भारतीय रूपये का अवमूल्यन हुआ है।
24. प्राधिकारी ने अमेरिकी डॉलर में लागत और मूल्य में परिवर्तन का मूल्यांकन किया है जो दर्शाता है कि लागत में वृद्धि हुई है जबकि आयात कीमत में गिरावट आई है। नीचे दी गई तालिका उत्तरदाता द्वारा आमेलन की मात्रा दर्शाती है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	मूल अवधि	आमेलन अवधि	परिवर्तन
1	भारत को निर्यात कीमत	डॉ एमटी/.	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	70	
2	कच्ची सामग्री और यूटिलिटी लागत में वृद्धि	डॉ.एमटी/.	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	
3	आमेलन	डॉ.एमटी/.			***

ड.3 पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का परिकलन

25. पाटनरोधी नियमावली के नियम 29(2) में निम्नलिखित उल्लेख है:

“(2) जहाँ पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन कोई वस्तु भारत में ऐसी कीमत पर या ऐसी स्थिति में आयात की जाती है जिसे मौजूदा पाटनरोधी शुल्क का आमेलन माना जाता है, और ऐसा शुल्क अप्रभावी हो जाता है या अप्रभावी हो सकता है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी, समीक्षा करने के बाद, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद, पाटनरोधी शुल्क के स्वरूप या आधार में, या पाटनरोधी शुल्क की मात्रा में, या दोनों में संशोधन की सिफारिश कर सकते हैं और यदि आवश्यक हो, तो इस नियमावली के नियम 10 और अनुबंध III के प्रावधानों के अनुसार क्रमशः पूर्व निर्धारित सामान्य मूल्य और क्षति में उचित परिवर्तन या समायोजन किया जा सकता है।”

26. नियम 29(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने मूल जाँच में निर्धारित सामान्य मूल्य और क्षति-रहित कीमत पर विचार किया है और आवश्यक परिवर्तनों के लिए उसे विधिवत समायोजित किया है।

27. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल जाँच में, सामान्य मूल्य का निर्धारण जापान से भारत को निर्यात मूल्य के आधार पर किया गया था, जिसे कारखानागत समायोजित किया गया था। वर्तमान जाँच में सामान्य मूल्य का निर्धारण मूल जाँच में निर्धारित सामान्य मूल्य पर विचार करके और उसे उचित परिवर्तनों के लिए विधिवत समायोजित करके किया गया है।

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	राशि
1	मूल जाँच में सामान्य मूल्य	डॉ./एमटी	***
2	मूल जाँच में जाँच अवधि की विनिमय दर	रु./डॉ.	71.65
3	मूल जाँच में सामान्य मूल्य	रु एमटी/.	***
4	पूर्व निर्धारित सामान्य मूल्य में समायोजन	रुएमटी/.	***
5	समायोजित सामान्य मूल्य	रुएमटी/.	***
5	आमेलन अवधि की विनिमय दर	रु./डॉ.	84
6	समायोजित सामान्य मूल्य	डॉ./एमटी	***

28. इसी प्रकार, वर्तमान जाँच में क्षतिरहित कीमत का निर्धारण मूल जाँच में निर्धारित क्षतिरहित कीमत पर विचार करके तथा उचित परिवर्तनों के लिए उसे विधिवत समायोजित करके निर्धारित की गई है।

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	राशि
1	मूल जाँच में क्षतिरहित कीमत	डॉ./एमटी	***
2	मूल जाँच में जाँच अवधि की विनिमय दर	रु./डॉ.	71.65
2	मूल जाँच में क्षतिरहित कीमत	रु एमटी/.	***
3	पूर्व निर्धारित क्षतिरहित कीमत में समायोजन	रुएमटी/.	***
4	समायोजित क्षतिरहित कीमत	रुएमटी/.	***
5	आमेलन अवधि की विनिमय दर	रु./डॉ.	84
6	समायोजित क्षतिरहित कीमत	डॉ./एमटी	***

29. संबद्ध सामनों के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, शैनडोंग से संबद्ध सामानों के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है।

क्र.सं.	विवरण	सामान्य मूल्य डॉ./एमटी	निवल निर्यात कीमत डॉ./एमटी	पाटन मार्जिन		
				डॉ./एमटी	%	रेंज
1	मूल अवधि	***	***	***	***	50-60%
2	आमेलन अवधि	***	***	***	***	70-80%

30. भारत को निवल निर्यात कीमत मूल अवधि के दौरान डॉ.***/एमटी से घटकर आमेलन अवधि के दौरान डॉ.***/एमटी हो गया है। यह निर्यात कीमत में लगभग 29% की गिरावट दर्शाता है। प्रतिशत के संदर्भ में, पाटन मार्जिन 52% से बढ़कर 109% हो गया है, जो स्पष्ट रूप से पाटन मार्जिन में दोगुने से भी अधिक की वृद्धि दर्शाता है।

31. संबद्ध सामानों के लिए क्षति रहित कीमत और पहुँच कीमत पर विचार करते हुए, शेडोंग के लिए संबद्ध सामानों के लिए क्षति मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

क्र.सं.	विवरण	क्षति रहित कीमत डॉ.एमटी/.	पहुँच कीमत डॉ./एमटी	क्षति मार्जिन		
				डॉ.एमटी/.	%	रेंज
1	मूल अवधि	***	***	***	***	25-35%
2	आमेलन अवधि	***	***	***	***	50-60%

32. संबद्ध देश से आयातों की पहुँच कीमत मूल अवधि के दौरान डॉ.***/एमटी से घटकर आमेलन अवधि में *** डॉ./एमटी हो गया है, जो लगभग 25% की कमी दर्शाता है। परिणामस्वरूप, क्षति मार्जिन डॉ.***/एमटी से बढ़कर डॉ.***/एमटी हो गया है।

33. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादक ने अपने पहुँच कीमत के परिकलन में 10% सीमा शुल्क का दावा किया है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद पर संबद्ध देश से आयात करने पर 4.175% का रियायती सीमा शुल्क लागू होता है। अतः, पहुँच कीमत के परिकलन में 4.175% सीमा शुल्क पर विचार किया गया है।

च. प्रकटन पश्चात टिप्पणियाँ

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

34. प्रतिभागी निर्यातक द्वारा प्रकटन विवरण पर निम्नलिखित टिप्पणियाँ दायर की गई हैं।

क. पहुँच कीमत गलत तरीके से निर्धारित की गई है।

ख. आमेलन की अद्यतन अवधि, जो चल रही जाँच का आधार है, पाटनरोधी नियमावली के नियम 29(3) के तहत निर्धारित दो वर्ष की सीमा से परे प्रस्तुत की गई थी।

ग. यदि जाँच शुरूआत में विचारित अवधि के आधार पर शुरू की गई होती, जो निर्धारित दो वर्ष की अवधि के भीतर आती, तो आमेलन का कोई मामला उत्पन्न नहीं होता।

घ. एमजी सिलिकॉन मेटल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका की उत्पादन लागत को सीधे प्रभावित नहीं करता, क्योंकि लागत उप-उत्पादों के बाजार मूल्य से निर्धारित होती है। एमजी सिलिकॉन मेटल का उपयोग अन्य उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उप-उत्पाद का उत्पादन होता है। ये उप-उत्पाद अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका के उत्पादन के लिए वास्तविक इनपुट सामग्री के रूप में कार्य करते हैं।

ड. कद्दी सामग्री को चीन के भीतर घरेलू स्तर पर प्राप्त किया जाता है और भारतीय रूपये और अम.डॉ. के बीच विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का इसकी उत्पादन लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कंपनी मानक अंतर्राष्ट्रीय परिपाठी के अनुसार, अम.डॉ. में बीजक जारी करती है, और उसकी निर्यात कीमत निर्धारण बाजार-संचालित कारकों से प्रभावित होती है।

च.2 आवेदक द्वारा अनुरोध

35. प्रकटन विवरण पर आवेदक द्वारा निम्नलिखित अनुरोध दायर किए गए हैं: -

क. नियम 29(3) विशेष परिस्थितियों में दो वर्ष की अवधि से आगे के आवेदन-पत्र स्वीकार करने में लचीलापन प्रदान करता है। वर्तमान आवेदन-पत्र समय पर प्रस्तुत किया गया था और प्राधिकारी के पास आवेदन-पत्र स्वीकार करने का विकल्प है, भले ही वह निर्धारित समय सीमा के बाद हो।

ख. नियम 29(2) के अंतर्गत, सामान्य मूल्य का निर्धारण पूर्व निर्धारित सामान्य मूल्य में समायोजन करने के बाद ही किया जा सकता है। इस अवधि के दौरान जापान से भारत में वास्तविक आयात कीमत को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य का नए सिरे से निर्धारण किया गया होता।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

36. उत्तरदाता निर्यातक के इस अनुरोध पर कि पहुँच कीमत का निर्धारण गलत तरीके से किया गया है, इस मुद्दे पर प्रकटन विवरण में पहले ही विचार किया जा चुका है। उत्पादक ने अपनी पहुँच कीमत की गणना में 10% सीमा शुल्क का दावा किया है, जबकि विचाराधीन उत्पाद पर संबद्ध देश से आयात किए जाने पर 4.175% का रियायती सीमा शुल्क लागू होता है। अतः, पहुँच कीमत के परिकलन में 4.175% सीमा शुल्क पर विचार किया गया है।
37. इस दावे के संबंध में कि संशोधित आमेलन अवधि नियमों के तहत निर्दिष्ट दो वर्ष की सीमा से आगे प्रस्तुत की गई थी और यदि जाँच मूल रूप से विचारित अवधि के आधार पर शुरू की गई होती, तो आमेलन का कोई मामला सामने नहीं आता, प्राधिकारी का मानना है कि निर्यातक ने कोई सहायक साक्ष्य प्रस्तुत किए बिना केवल एक दावा किया है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि किसी भिन्न अवधि पर विचार करने से आमेलन का अस्तित्व कैसे समाप्त हो जाएगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नियम आवेदक द्वारा समय पर आवेदन दाखिल करने को अनिवार्य करते हैं, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा ऊपर पैरा 13 में देखा गया है। इस मामले में जाँच, नियमों के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर शुरू की गई थी।
38. प्रतिभागी निर्यातक ने यह उल्लेख किया है कि एमजी सिलिकॉन धातु का उपयोग ऑर्गेनोसिलिकॉन के उत्पादन में किया जाता है जिससे उप-उत्पाद बनते हैं। ये उप-उत्पाद अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका के उत्पादन के लिए वास्तविक इनपुट सामग्री के रूप में कार्य करते हैं और इसीलिए आमेलन का निर्धारण करने के लिए एमजी सिलिकॉन धातु की कीमत पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि प्रतिभागी निर्यातक ने अनुरोधों में इन उप-उत्पादों को कच्ची सामग्री के रूप में दावा किया है, जबकि लागत संबंधी आंकड़ों में कच्ची सामग्री के रूप में एक अलग कच्ची सामग्री सूचित की गई है। प्रतिभागी निर्यातक द्वारा विरोधाभासी विवरण दिए गए हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि वर्तमान जाँच इस निर्धारण तक सीमित है कि क्या निर्यात कीमत में गिरावट आई है और यदि ऐसा है, तो सामान्य मूल्य और पूर्व में निर्धारित, एनआईपी के आधार पर पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का मात्राकरण विधिवत समायोजित किया गया है। प्राधिकारी को सामान्य मूल्य का पुनर्निर्धारण करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य मूल्य में परिवर्तन मूल जाँच के समय सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अपनाई गई पद्धति के आधार पर देखे जाने की आवश्यकता है। चूंकि चीनी उत्पादक ने मूल जाँच के समय बाज़ार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया था, अतः प्राधिकारी ने अनुबंध-I के पैरा-7 पाटनरोधी नियमों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया था। अतः, प्राधिकारी को पूर्व में निर्धारित सामान्य मूल्य और मूल जाँच के समय अपनाई गई पद्धति का पालन करना आवश्यक है। गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था के नाते, निर्यातक द्वारा सूचित लागतों में परिवर्तन किसी भी स्थिति में प्रासंगिक नहीं हैं। जाँच से पता चला है कि जहाँ भारत को निर्यात कीमतों में गिरावट आई है, वहाँ उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है, जिससे शुल्क का आमेलन सिद्ध होता है।
- छ. निष्कर्ष एवं सिफारिशें
39. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने के पश्चात् तथा रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं:
- क. संबद्ध सामानों के घरेलू उत्पादक के रूप में कैबट सनमार लिमिटेड द्वारा आमेलन-रोधी जाँच शुरू करने के लिए आवेदन-पत्र दायर किया गया था।
 - ख. विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र मूल जाँच के समान ही है, जो अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका है।
 - ग. आवेदन-पत्र दायर किया गया था, और यह जाँच करने के लिए जाँच शुरू की गई थी कि क्या शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के आमेलन में लगा है, और यदि हाँ, तो सामान्य मूल्य और क्षतिरहित कीमत के पुनर्मूल्यांकन के बाद पाटनरोधी शुल्क की राशि का पुनः मात्राकरण किया जाए।
 - घ. घरेलू उद्योग के आंकड़ों के आधार पर, यह देखा गया है कि कच्चे माल की लागत में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रदान किए हैं कि उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है। संबद्ध निर्यातक ने बाज़ार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया और इसलिए उसके कच्चे माल की लागत को स्वीकार नहीं किया।
 - ड. प्राधिकारी ने शुल्क के आमेलन की जांच के लिए संबद्ध निर्यातक द्वारा दायर उत्तर में बताए गए निर्यातों पर विचार किया है।

- च. यद्यपि उत्पाद की कञ्ची सामग्री की लागत में वृद्धि हुई थी, तथापि संबद्ध निर्यातक की निर्यात कीमत में गिरावट आई थी।
- छ. नियमों के अनुसार प्राधिकारी को सामान्य मूल्य और क्षतिरहित कीमत का पुनर्मूल्यांकन करना होगा और उसके बाद लगाए जाने वाले नए पाटनरोधी शुल्क की मात्रा निर्धारित करने के लिए नए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की गणना करनी होगी। प्राधिकारी द्वारा ऐसा ही किया गया है।
- ज. निर्यातक के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन पिछली जांच में निर्धारित मार्जिन से अधिक है।
- झ. रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्य स्पष्ट रूप से सिद्ध करते हैं कि लागू पाटनरोधी शुल्क को उक्त निर्यातक द्वारा कीमत में कमी करके आमेलित कर लिया गया है।
40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को आमेलन के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटनरोधी नियमावली के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड द्वारा शुल्क के आमेलन की जाँच शुरू करने और जांच करने पर, प्राधिकारी का यह मत है कि शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड पर लागू पाटनरोधी शुल्क में संशोधन आवश्यक है। अतः, प्राधिकारी शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड विषय देश से। आवेदक ने किसी अन्य निर्यातक द्वारा अवशोषण का आरोप नहीं लगाया था और जांच केवल शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन सामग्री कं, लिमिटेड तक ही सीमित थी द्वारा संबद्ध सामानों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क में संशोधन की सिफारिश करते हैं।
41. प्राधिकारी 20 सितंबर 2021 के अंतिम जांच परिणाम 6/40/2020-डीजीटीआर और दिनांक 11 नवंबर 2021 की अधिसूचना संख्या 66/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयात पर लगाए गए शुल्क की मात्रा में निश्चिह्नित संशोधन की सिफारिश करते हैं। कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी वर्तमान जांच के संबद्ध निर्यातक के संबंध में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से जो भी कमतर हो, उसके आधार पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क में संशोधन की सिफारिश करते हैं। जहां तक वर्तमान जांच के अध्यधीन न आने वाले निर्यातकों का संबंध है, पहले लगाया गया पाटनरोधी शुल्क जारी रहेगा। तदनुसार, चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क, वर्तमान आमेलन-रोधी जांच में प्राधिकारी की उपरोक्त सिफारिश को शामिल करते हुए, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाए अनुसार होगा। ये शुल्क दिनांक 11 नवंबर 2021 की अधिसूचना संख्या 66/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) के जारी किए जाने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए जारी रहेंगे।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्ष	विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	यूओए म	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	28112 200	'अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका	चीन जन.गण	चीन जन.गण. सहित कोई देश	शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन सामग्री कं, लिमिटेड	1,296	एमटी	यूएसडॉ.
2	-वही-	-वही-	चीन जन.गण	चीन जन.गण. सहित कोई देश	वेकर केमिकल्स फ्यूम्ड सिलिका (झांगजियागांग) कंपनी लिमिटेड	शून्य	एमटी	यूएसडॉ.
3	-वही-	-वही-	चीन जन.गण	चीन जन.गण सहित कोई देश	क्र .सं.1 और 2को छोड़कर कोई उत्पादक	1,296	एमटी	यूएसडॉ.

4	-वही-	-वही-	चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य को छोड़कर कोई देश	चीन जन.गण.	कोई	1,296	एमटी	यूएसडॉ.
5	-वही-	-वही-	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई देश	ओसीआई कंपनी लिमिटेड	शून्य	एमटी	यूएसडॉ.
6	-वही-	-वही-	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई देश	किसी अन्य को छोड़कर भी उत्पादक	373	एमटी	यूएसडॉ.
7	-वही-	-वही-	कोरिया गणराज्य और चीन जन.गण. को छोड़कर कोई देश	कोरिया गणराज्य	कोई	373	एमटी	यूएसडॉ.

ज. आगे की प्रक्रिया

42. इन अंतिम जांच परिणामों के कारण प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

सिद्धार्थ महाजन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDING

New Delhi, the 11th August, 2025

Case No. – AD (AA) – 02/2023

Subject: Anti-absorption review investigation of the anti-dumping duty imposed on imports of ‘Untreated Fumed Silica’ originating in or exported from China PR.

F. No. 7/25/2023-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as “the Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as “the Rules”) thereof.

A. BACKGROUND OF THE CASE

- In accordance with the provisions of Rule 30 of the Anti-Dumping Rules, M/s Cabot Sanmar Limited, (hereinafter referred to as the “applicant”) filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) alleging absorption of anti-dumping duty imposed on imports of ‘Untreated Fumed Silica’ (hereinafter referred to as the “subject goods” or the “product under consideration”) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”) and produced by Shandong Dongyue Silicone Material Co., Ltd. (hereinafter referred to as the “subject exporter” or “respondent”).

2. The anti-dumping investigation concerning imports of Untreated Fumed Silica from China PR and Korea RP was initiated vide notification dated 22nd September 2020. Vide final findings F. No. 6/40/2020-DGTR dated 20th September 2021, the Authority recommended the imposition of anti-dumping duty on imports of Untreated Fumed Silica for a period of 5 years. Such duties were levied by the Ministry of Finance vide Notification No. 66/2021-Customs (ADD) dated 11 November 2021. The table below summarizes the duty in force at present.

S.N.	Country	Producer	Amount
1	China PR	Shandong Dongyue Silicone Material Co., Ltd.	1,018 \$/MT
2	China PR	Wacker Chemicals Fumed Silica (Zhangjiagang) Co. Ltd.	Nil
3	China PR	Any other	1,296 \$/MT
4	Korea RP	OCI Company Limited	Nil
5	Korea RP	Any other	373\$/MT

3. In terms of Section 9A(1B) of the Act and Rule 29(2) of the Rules, where an article subject to anti-dumping duty is imported into India at such price or under such condition which is considered as absorption of existing anti-dumping duty, which is thereby rendered or may be rendered ineffective, the Designated Authority may, after conducting a review, recommend modification in the form or basis of the duty and/or the quantum of antidumping duty after reassessing the dumping margin and injury margin. In accordance with the same, the Authority is required to review, based on an application with sufficient evidence, made by or on behalf of the domestic industry or any other interested party as to whether the existing anti-dumping duty is thereby rendered or may be rendered ineffective because of absorption of duty.
4. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicants and having satisfied itself based on the *prima facie* evidence submitted by the applicant concerning absorption of the anti-dumping duties imposed on the exports from China PR by Shandong Dongyue Silicone Material Co. Ltd, the Authority initiated an anti-absorption investigation to determine the existence and effect of absorption of the anti-dumping duty on exports of the product under consideration by the subject exporter from China PR and to recommend modification of the quantum or form of the anti-dumping duty, in accordance with Section 9A(1B) of the Act and Rule 30 of the Rules, vide Notification No. 7/25/2023-DGTR dated 31st December, 2024. The investigation was initiated only on the exports from China PR by Shandong Dongyue Silicone Material Co. Ltd,

B. PROCEDURE

5. The procedure described hereinbelow has been followed in the investigation.
- The Authority vide Notification No. 7/25/2023-DGTR, dated 31st December 2024, published a public notice in the Gazette of India, Extraordinary, initiating an anti-absorption investigation against imports of the subject goods by the subject exporter, Shandong Dongyue Silicone Material Co. Ltd from the subject country.
 - In accordance Rule 30(4) the embassy of China in India was notified before proceeding to initiate anti-absorption investigation.
 - The absorption period has been considered as 1st July 2023 to 30th June 2024 (12 months). The Authority has compared the prices in such a period to the prices in the period of investigation of the original investigation.
 - In accordance with Rule 6(2) of the rules, a copy of the public notice was forwarded by the Authority to the embassy of China in India, the subject producer/ exporter known importers and other interested parties.
 - In accordance with Rule 6(3) of the rules, the Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the subject producer / exporter, and to the Government of China, through its embassy, and to other interested parties who made a request in writing.
 - The Authority forwarded a copy of the public notice initiating the anti-absorption investigation to the subject producer/ exporter in the subject country, and other interested parties and provided them an opportunity to file response to the questionnaire in the form and manner prescribed within time limit, as prescribed in the initiation notification, and make their views known in writing.
 - The Authority forwarded a copy of the Notification to the following known importers/ users of the

subject goods in India calling for necessary information, in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

- i. Adinath Auxi Chem Industry Address
 - ii. Jay Chem Marketing
 - iii. Aadishwar Excipients Private Limited
 - iv. Amcorp Advance Materials LLP
 - v. Kenda Farben India Private Limited
 - vi. Reda Chemicals India Private Limited
 - vii. Pidilite Industries Limited
 - viii. Fasto Advance Materials India Private Limited
 - ix. HP Adhesives Limited
 - x. Adinath Auxi Chem Industry Private Limited
 - xi. K.P. Manish Global Ingredients Pvt Ltd
 - xii. 3M India Limited
 - xiii. Diwan Chand Sahani & Sons
 - xiv. Ankush Enterprise
 - xv. Keshav Hichem Private Limited
 - xvi. Nikeon Corporation
 - xvii. Parkash International
 - xviii. Phoenix Nutraceuticals
- h. The Authority sent the importer's questionnaire to the following known Associations of the subject goods in India for circulation & calling necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
- i. Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry (FICCI)
 - ii. Associated Chambers of Commerce and Industry of India
 - iii. Confederation of Indian Industry (CII)
- i. Shandong Dongyue Silicone Material Co. Ltd (herein after referred to as respondent") has furnished a response to the questionnaire issued by the Authority.
- j. Transaction-wise imports data for the absorption period was procured from DG Systems. The Authority has relied upon the data from DG Systems for calculating the volume and value of imports of the subject goods in India and for comparison and reconciliation with the responses filed by the exporter.
- k. Information was sought from the applicant and responding exporter to the extent deemed necessary.
- l. All the interested parties were requested to e-mail the non-confidential versions (NCV) of their submissions/responses/comments filed by them to all the other interested parties.
- m. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 4th April 2024 in hybrid mode. The parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- n. Due to the change of the Designated Authority, a fresh oral hearing was held on 23 May 2025 wherein all interested parties were provided the opportunity to present their views. The parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any.
- o. The submissions made by the interested parties, arguments raised, and information provided by various interested parties during the course of the investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority in this final finding.

- p. The Authority, during the course of the investigation, satisfied itself to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of this final finding to the extent possible and verified the data/ documents submitted by the domestic industry to the extent considered relevant and necessary.
- q. The information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient non- confidential version of the information filed on a confidential basis.
- r. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority considered such interested parties as non-cooperative and recorded these final findings on the basis of the facts available.
- s. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts under consideration for making the final recommendations to the Central Government to all interested parties on 9th July 2025. The Authority has examined all the post disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submission, and which had been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.
- t. “****” in these final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- u. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US\$= Rs. 84.00. The exchange rate considered in the original investigation was US\$= Rs. 71.65.

C. SUBMISSIONS MADE BY SUBJECT EXPORTER ON VARIOUS ISSUES

- 6. The following submissions have been made by Shandong Dongyue Silicone Material Co., Ltd., during the course of the investigation.
 - a. The product exported by the respondent is an industrial grade untreated fumed silica, primarily used in the production of silicone sealants which has a lower commercial value compared to pharmaceutical or food-grade variants of fumed silica supplied by Wacker.
 - b. Price comparisons should not be made without taking into account differences in grades and technical parameters, as these influence the market positioning and value of the product.
 - c. The application filed by the domestic industry was beyond the two-year time limit stipulated under Rule 29(3) of the Rules, which mandates that such investigations be normally initiated within two years from the date of imposition of definitive anti-dumping duty.
 - d. No special circumstances were recorded in writing by the Authority to justify such delayed initiation.
 - e. The information provided by the applicant does not establish any *prima facie* evidence of absorption of anti-dumping duty.
 - f. The decline in export prices to India was driven by global market trends and oversupply conditions, rather than by any intention to neutralize the imposed anti-dumping duty.
 - g. Certain by-products generated from its other chemical processes as input materials in the production of untreated fumed silica. These internal transfers were priced based on internal accounting principles, leading to a stable cost structure. This internal cost arrangement made its pricing sustainable even in a competitive market environment.
 - h. The decline in export prices during the period of absorption (July 2023 – June 2024) was not due to any absorption of the anti-dumping duty but as a result of global price adjustments and not due to any attempt to offset the effect of the duty.
 - i. The price trend is a result of oversupply in global markets, pricing pressure from competitors, and overall softening in demand post-COVID recovery.
 - j. The price changes were influenced by exchange rate fluctuations, and the depreciation of the Indian rupee over the period explains part of the price movement when denominated in INR.

- k. Shandong Dongyue's production costs have decreased which shows that the prices are not influenced by anti-dumping duties, but by overall market conditions

D. SUBMISSIONS MADE BY THE APPLICANT ON VARIOUS ISSUES

7. The following submissions have been made by the applicant during the course of the investigation.
- a. The scope of the product under consideration in the present anti-absorption investigation remains the same as that defined in the original investigation, which includes all grades of untreated fumed silica.
 - b. The application was filed for initiation of the anti-absorption investigation within two years from the date of imposition of definitive duties. The original application was filed in September 2023, well within the statutory timeline.
 - c. The applicant subsequently updated the period of absorption to reflect the most recent price trends up to June 2024, and such supplementation of data does not invalidate the application or the initiation of the investigation.
 - d. Rule 29(3) allows an application to be filed by the domestic industry or by any other interested party. There is no legal requirement that an application can only be filed by the domestic industry. The application can be filed by domestic producer who has imported the product under consideration in substantial quantities, domestic producer whose share is less than the limit prescribed under Rule 5(3), an association and or any other interested party.
 - e. Rule 29(3) permits the Authority to accept an application beyond two years in special circumstances, provided reasons are recorded in writing. In the present case, however, such a situation did not arise, as the original application was well within the prescribed period.
 - f. The evidence furnished in the application clearly demonstrates that the exporter's CIF prices to India have declined significantly post imposition of duty, while raw material and utility costs have increased. This shows that the exporter has absorbed the anti-dumping duty, thereby undermining its remedial effect.
 - g. The exporter's narrative regarding the use of by-products in production was not supported by any third-party documentation or accounting standards. No documentary evidence was provided to substantiate the valuation or market relevance of such internal transfers.
 - h. The exporter did not submit any transaction-wise third-country export data or cost audit reports to justify the claimed decline in export prices as being part of a broader trend. Therefore, the explanation of market-driven price reductions remained unverified.
 - i. While global costs of inputs such as Metallurgical Grade Silicon (MG Silicon) and utilities (power, gas) have increased during the absorption period, the exporter's prices to India declined, suggesting that the anti-dumping duty has been neutralized.
 - j. Participating producer has admitted that the price decline for the Indian market has been higher than the price decline for the domestic sales or other countries. While the price in the domestic market and the export price to third countries has declined by 32% only, the export price to India has declined by 44%.
 - k. The producer has not claimed market economy treatment. Therefore, in absence of MET, the Authority should not consider the change in the cost of production of the producer.
 - l. While the cost of production has increased in rupee terms, the import price has declined.
 - m. While the cost of production has declined in dollar terms, the import price has declined at a much steeper rate.
 - n. While the cost of production has declined in CNY terms, the import price has declined at a much steeper rate.
 - o. The import price has declined without any commensurate change in cost of production of the article and therefore, absorption has taken place.
 - p. The applicant has invoiced the material in US\$. It cannot contend that it was adjusting its prices to reflect the increase in exchange rate. The cost of production of Indian industry increases with the increase in exchange rate and therefore if the exporter adjusts its prices to reflect exchange rate, this itself implies causing injury to Indian industry.

E. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

8. As the present investigation is an anti-absorption review of anti-dumping duty in force, the scope of the

product under consideration remains the same as defined in the original investigation. Untreated Fumed Silica is a synthetic amorphous silica produced through flame hydrolysis of chlorosilanes. The product is characterized by high surface area, low bulk density, and is commonly used as a thickening agent, anti-caking agent, carrier for liquids, and rheology modifier.

9. The Authority notes that untreated fumed silica is imported in various grades with differing surface areas; however, the basic physical and chemical characteristics of these grades remain the same. The product is marketed in powder form and is classified under subheadings 28112200, 28112190, 2839100, and 34049090 of the Customs Tariff Act, 1975. The customs classification is indicative only and is not binding for defining the product scope.
10. The respondent -exporter has claimed that the product exported by it is an industrial grade untreated fumed silica, primarily used in the production of silicone sealants which has a lower commercial value compared to pharmaceutical or food-grade variants of fumed silica supplied by Wacker. The Authority notes that the present investigation is an anti-absorption investigation, and the purpose is to examine if the export price has moved in line with the cost of raw material. The respondent has not claimed that there is difference in the product profile exported in the original investigation and the present investigation. Therefore, the Authority does not find it necessary to examine the issue of scope of product under consideration or like-article.
11. No submissions have been made on the scope of the product under consideration. Therefore, the Authority does not find it necessary to examine the issue of scope of product under consideration or like-article.

E. 1 Miscellaneous issues.

12. The other interested parties have commented that the investigation was initiated after the time limit prescribed under Rule 29(3). The relevant extracts of Rule 29 (3) are produced below.

(3) The domestic industry or any other interested party shall file the application seeking initiation of anti-absorption investigation normally within two years from the date of imposition of definitive anti-dumping duty :

Provided that in view of special circumstances in a given case, for reasons to be recorded in writing, the designated authority may accept an application for such initiation after expiry of the said period of two years

13. The Authority notes that the requirement under the rules is for an applicant to file the application within the time limits. The requirement is not for initiation of the investigation by the Authority. The anti-dumping duties were imposed by Ministry of Finance vide Notification No. 66/2021-Customs (ADD) dated 11th November 2021. The two-year period expired on 10th November 2023. The applicant had filed the application on September 2023 with period of absorption as January 2023 to June 2023. The applicant had later updated the application with the period of investigation as July 2023 to June 2024. Therefore, the fact that the investigation was initiated after the expiry of two years does not make the initiation bad in law. The Authority also notes that Rule 29(3) allows flexibility in accepting applications beyond the two-year period in special circumstances. It was open for the Authority to accept the application even if the same was beyond the prescribed time limits.

E. 2 Absorption of anti-dumping duty

14. The respondent has claimed that the decline in the export price to India was not because of the absorption of duties but because of the decline in cost of sales. The Authority notes that in the original investigation, the Chinese producers were considered operating in non-market economy conditions. Similarly, the producer has not claimed market economy treatment in the present investigation. Therefore, the claimed cost of sales of the producer cannot be accepted to examine if the export price declined because of decline in the cost of sales. It is seen that even when exporter's data is considered, the decline in export price is more than the decline in the cost of sales.
15. A table showing change in cost of sales, selling price in domestic market, selling price in the Indian market and selling price to other countries of the respondent is given below. The producer has not provided actual information on the cost of sales, domestic selling price, export price to India and to other countries. In the written submission, only non-confidential trend has been provided which is shown below.

S.N.	Particulars	UoM	Original POI	Current POI	Change
1	Cost of sales	\$/MT	110	85	22.7%
2	Domestic selling price	\$/MT	100	76	24.0%
3	Export price to India	\$/MT	105	73	30.5%

4	Export price to other countries	\$/MT	108	82	24.1%
---	---------------------------------	-------	-----	----	-------

16. The Authority notes that from the information on record that the cost of sales of the respondent has declined by 22.7% and the domestic selling price has also declined by 24%. However, export price to India has declined by 30.5%. The decline in the export price is higher than the decline in the cost of sales or the domestic selling price. The decline in export price to India is more than the decline in export price to other countries.
17. The respondent has claimed that the decline in export price to India is in the same region as the decline in the export price to other countries. The respondent has not provided information on transaction wise export price to third countries to substantiate claims of third country export price decline. Further, the exporter has only provided trends for cost of sale and selling price for different markets. Notwithstanding, even on weighted average basis and as per the trends given, it is seen that whereas the export price to India declined by 30.5%, its export price to other countries declined only by 24.1%.
18. The respondent has also submitted that MG Silicon Metal is used as a primary raw material in the production of another product, organosilicon products which is used to produce the product under consideration. The Authority notes that this fact was applicable in the original investigation as well. In an anti-absorption investigation, the Authority is only required to examine if the export price has declined in line with decline in the cost of sales. In the present investigation, it is seen that the cost of sales has reduced at a lower rate as compared to the export price of the respondent.
19. In order to examine if the export price has declined for the producer, the Authority has compared the net export price determined in the original investigation for the respondent with the net export price in the absorption period reported by the respondent.

S.N.	Particulars	UoM	Original POI	Current POI	Change
1	Export price to India	\$/MT	***	***	***
	Trend	Indexed	100	70	
2	Exchange rate	CNY/\$	6.97	7.20	
3	Export price to India	CNY/MT	***	***	***
	Trend	Indexed	100	73	

Source – Provided by domestic industry in written submission <https://www.exchangerates.org.uk/>

20. It is seen that the export price of the producer has declined in both USD and CNY.
21. The applicant had submitted that the raw material cost and the utility cost has increased whereas the import price has declined. The Authority has examined the data. The table below shows the change in raw material and utility cost allowed for NIP calculation between the original period and the absorption period.

S.N.	Particulars	UOM	Original period	Absorption period	Change
1	Raw material cost	Rs/MT	***	***	***
	Trend	Indexed	100	118	
2	Utility cost	Rs/MT	***	***	***
	Trend	Indexed	100	141	
3	Total of above	Rs/MT	***	***	***
	Trend	Indexed	100	123	
4	Exchange rate	Rs/\$	71.65	84.00	
5	Total of above	\$/MT	***	***	***
	Trend	Indexed	100	105	

22. It is seen that the cost on account of raw material and utility has increased in the absorption period in both INR and USD.
23. With regard to the submission that the decline in the import price was on account of depreciation of the currency, the Authority has compared the parameters in same currency and found absorption of anti-dumping duty. Since the export price is quoted in USD, the same is relevant to determine whether the export price has

declined. The exporter cannot contend that the export price has declined because INR has depreciated.

24. The Authority has evaluated the change in cost and price in USD which shows that the cost has increased whereas the import price has declined. The table below shows the degree of absorption by the respondent.

S.N.	Particulars	UOM	Original period	Absorption period	Change
1	Export price to India	\$/MT	***	***	***
	Trend	Indexed	100	70	
2	Increase in raw material and utility cost	\$/MT	***	***	***
	Trend	Indexed	100	105	
3	Absorption	\$/MT			***

E. 3 Calculation of dumping margin and injury margin

25. Rule 29(2) of the Anti-Dumping Rules states as follows:

“(2) Where an article subject to anti-dumping duty is imported into India at such price or under such condition which is considered as absorption of the existing anti-dumping duty, and such duty is thereby rendered or maybe rendered ineffective, the designated Authority may, after conducting review, recommend modification in the form or basis of the anti-dumping duty, or the quantum of anti-dumping duty, or both, after reassessing the dumping margin and injury margin and appropriate changes or adjustments in previously determined normal value and injury, if necessary, in accordance with the provisions of rule 10 and Annexure III to these Rules, respectively, may be done”.

26. In accordance with Rule 29(2), the Authority has considered the normal value and non-injurious price determined in the original investigation and has duly adjusted the same for necessary changes.
27. The Authority notes that in the original investigation, the normal value was determined based on export price from Japan to India adjusted to ex-factory. The normal value in the present investigation has been determined by considering the normal value determined in the original investigation and duly adjusting it for appropriate changes.

S.N.	Particulars	Unit	Amount
1	Normal value in original investigation	\$/MT	***
2	Exchange rate of period of investigation in original investigation	Rs/\$	71.65
3	Normal value in original investigation	Rs/MT	***
4	Adjustments in previously determined normal value	Rs/MT	***
5	Adjusted normal value	Rs/MT	***
5	Exchange rate of absorption period	Rs/\$	84
6	Adjusted normal value	\$/MT	***

28. Similarly, the non-injurious price in the present investigation has been determined by considering the non-injurious price determined in the original investigation and duly adjusting it for appropriate changes.

S.N.	Particulars	Unit	Amount
1	Non-injurious price in original investigation	\$/MT	***
2	Exchange rate of period of investigation in original investigation	Rs/\$	71.65
2	Non-injurious price in original investigation	Rs/MT	***
3	Adjustments in previously determined non-injurious price	Rs/MT	***
4	Adjusted non-injurious price	Rs/MT	***
5	Exchange rate of absorption period	Rs/\$	84
5	Adjusted non-injurious price	\$/MT	***

29. Considering the normal value and export price for the subject goods, the dumping margin for the subject goods

from Shandong has been determined as follows.

S.N.	Particulars	Normal value \$/MT	Net export price \$/MT	Dumping margin		
				\$/MT	%	Range
1	Original period	***	***	***	***	50-60%
2	Absorption period	***	***	***	***	70-80%

30. The net export price to India has declined significantly from \$***/MT during the original period to \$***/MT during the absorption period. This represents a drop of approximately 29% in the export price. In percentage terms, the dumping margin has risen from 52% to 109%, clearly showing a more than doubling of the dumping margin.
31. Considering the non-injurious price and landed price for the subject goods, the injury margin for the subject goods for Shandong has been determined as follows

SN	Particulars	NIP \$/MT	Landed price \$/MT	Injury margin		
				\$/MT	%	Range
1	Original period	***	***	***	***	25-35%
2	Absorption period	***	***	***	***	50-60%

32. The landed price of imports from the subject country has declined from \$***/MT during the original period to \$***/MT in the absorption period a reduction of approximately 25%. As a result, the injury margin has increased from \$***/MT to \$***/MT.
33. The Authority notes that the producer has claimed custom duty of 10% in calculation of its landed price. However, the Authority notes that the product under consideration attracts a concessional custom duty of 4.175% when imported from the subject country. Therefore, custom duty of 4.175% has been considered in calculating the landed price.

F. POST DISCLOSURE COMMENTS

F.1 Submissions by other interested parties.

34. The following comments to the disclosure statement have been filed by the participating exporter.
- The landed price has been incorrectly determined.
 - The updated period of absorption, which forms the basis of the ongoing investigation was submitted beyond the two-year limit prescribed under Rule 29(3) of the anti-dumping rules.
 - If the investigation had been initiated based on the period initially considered, which fell within the prescribed two-year window, no case of absorption would have arisen.
 - Price fluctuations in MG Silicon Metal do not directly influence the production cost of untreated fumed silica, as the cost is determined by the market value of the by-products. MG Silicon Metal is used in the production of other products which results in by product production. These by-products serve as the actual input materials for production of untreated fumed silica.
 - Raw materials are sourced domestically within China and exchange rate fluctuations between INR and USD have no bearing on its production costs. The company invoices in USD, as is standard international practice, and its export pricing is influenced by market-driven factors.

F.2 Submissions by the applicant.

35. The following comments to the disclosure statement have been filed by the applicant: -
- Rule 29(3) allows flexibility in accepting applications beyond the two-year period in special circumstances. The present application was filed in time and the Authority has the option to accept the application even if the same was beyond the prescribed time limits.
 - Under the Rule 29(2), normal value can be determined only after making adjustments to the previously determined normal value. Considering of actual import price from Japan into India during the period would have amounted to fresh determination of normal value.

F.3 Examination by the Authority.

36. On the submission of responding exporter that landed price has been incorrectly determined, the issue was already dealt in the disclosure statement. The producer has claimed custom duty of 10% in calculation of its landed price whereas the product under consideration attracts a concessional custom duty of 4.175% when

imported from the subject country. Therefore, custom duty of 4.175% has been considered in calculating the landed price.

37. Regarding the claim that the revised absorption period was submitted beyond the two-year limit specified under the rules and that, had the investigation been initiated based on the originally considered period, no case of absorption would have emerged, the Authority holds that the exporter has merely made an assertion without submitting any supporting evidence. There is no demonstration of how considering a different period would negate the existence of absorption. It is further clarified that the rules mandate timely filing of the application by the applicant, as observed by the Authority in para 13 above. The investigation in this case was initiated within the prescribed time limits under the rules.
38. The participating exporter has stated that MG Silicon Metal is used in the production of organosilicon which results in by-products [***]. These by-products serve as the actual input materials for production of untreated fumed silica and therefore price of MG Silicon Metal should not be considered for determining absorption. The Authority notes that while participating exporter has claimed these by-products as raw material in submissions, in the costing data different raw material has been reported [***] as a raw material. Contradictory statements have been made by the participating exporter. The Authority also notes that the present investigation is limited to a determination whether the export price has declined and if so, quantification of dumping margin and injury margin on the basis of normal value and NIP previously determined, duly adjusted. The Authority is not required to re-determine normal value. Changes in normal value are required to be seen on the basis of methodology followed for determination of normal value at the time of original investigation. Since the Chinese producer had not claimed market economy treatment at the time of original investigation, the Authority had determined normal value based on para-7 of Annexure-I of the Anti-Dumping Rules. Therefore, the Authority is required to follow the normal value earlier determined and the methodology followed at the time of original investigation. Being non-market economy, the changes in costs reported by the exporter are in any case not relevant. The investigation has shown that whereas the export prices to India has declined, the cost of production has increased, thus establishing absorption of duty.

G. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

39. After examining the submissions made by all the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes as below: -
- a. The application for initiation of an anti-absorption investigation was filed by Cabot Sanmar Limited as domestic producer of the subject goods.
 - b. The scope of the product under consideration is the same as that in the original investigation, that is Untreated Fumed Silica.
 - c. The application was filed, and investigation was initiated to examine whether Shandong Dongyue Silicone Material Co., Ltd has engaged in absorption of anti-dumping duty imposed, and if so, to re-quantify the amount of anti-dumping duty after reassessment of normal value and non-injurious price.
 - d. Based on the data of the domestic industry, it is seen that the raw material cost has increased. The domestic industry has provided sufficient evidence to establish that there is an increase in the cost of production. The subject exporter did not claim market economy treatment and therefore its cost of raw material was not accepted.
 - e. The Authority has considered the exports as reported in the response filed by subject exporter for examination of absorption of duty.
 - f. While the raw material cost of the product had increased, the export price of the subject exporter had declined.
 - g. The rules require the Authority to reassess the normal value and non-injurious price and thereafter compute the new dumping margin and injury margin in order to quantify the fresh amount of anti-dumping duty that should be imposed. The same has been done by the Authority.
 - h. The dumping margin and injury margin determined for the exporter are higher than that determined in the previous investigation.
 - i. The facts on record clearly establish that the anti-dumping duty in force has been absorbed by the said exporter by reducing the price.
40. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of absorption. Having initiated and conducted the investigation into absorption of duty by Shandong Dongyue Silicone Material Co., Ltd. in terms of the provisions laid down under the Anti-dumping Rules, the Authority is of the view that modification of anti-dumping duty applicable on Shandong Dongyue Silicone Material Co., Ltd. is required. Therefore, the Authority recommends

modification of anti-dumping duty on imports of the subject goods from Shandong Dongyue Silicone Material Co., Ltd. from the subject country. The applicant had not alleged absorption by any other exporter and the investigation was restricted to only Shandong Dongyue Silicone Material Co., Ltd.

41. The Authority recommends modification of the quantum of duty imposed on imports of the subject goods originating or exported from China PR and Korea RP vide Final Findings 6/40/2020-DGTR dated 20th September 2021 and Notification No. 66/2021-Customs (ADD) dated 11th November 2021, as below. Having regard to the lesser duty rule, the Authority recommends modification of definitive antidumping duty based on lesser of margin of dumping and margin of injury, in respect of the subject exporter of the present investigation. As regards exporters not subject to the present investigation, the anti-dumping duty imposed earlier would continue. Accordingly, the definitive anti-dumping duties on the import of the subject goods, originating in or exported from China PR, incorporating the above recommendation of the Authority in the instant anti-absorption investigation, is as indicated in Col. 7 of the duty table below. Such duties shall continue for a period of five years from the date of issuance of Notification No. 66/2021-Customs (ADD) dated 11th November 2021.

DUTY TABLE

S. N.	Heading	Description	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	UOM	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2811220 0	Untreated fumed silica	China PR	Any country including China PR	Shandong Dongyue Silicone Material Co., Ltd.	1,296	MT	US\$
2	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Wacker Chemicals Fumed Silica (Zhangjiagang) Co., Ltd.	NIL	MT	US\$
3	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any producer other than SN I. and 2.	1,296	MT	US\$
4	-do-	-do-	Any country other than China PR and Korea RP	China PR	Any	1,296	MT	US\$
5	-do-	-do-	Korea RP	Any country including Korea RP	OCI Company Limited	NIL	MT	US\$
6	-do-	-do-	Korea RP	Any country including Korea RP	Any producer other than SN 5	373	MT	US\$
7	-do-	-do-	Any country other than Korea RP and China PR	Korea RP	Any	373	MT	US\$

H. FURTHER PROCEDURE

42. An appeal against the order of the Authority arising out of the final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority